Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अगस्त (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा: किसानों से सभी फसलें MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य 3
- हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन 3
- पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित 4
- हरियाणा में विनेश फोगट के भव्य स्वागत की तैयारी 5
- नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता 6
- भारी वर्षा का पूर्वानुमान 7
- हरियाणा ने युवाओं के लिये योजनाएँ शुरू कीं 7
- हरियाणा की अरावली को संरक्षित वन का दर्जा मिला 8
- हरियाणा ने अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी 10
- भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में भर्ती के परिणाम रोके 10
- हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये पर्यवेक्षक 11
- हरियाणा में अनुसूचित जाति कोटे के द्विभाजन की सिफारिश 12
- एमपोक्स के लिये ज़िला अलगाव सुविधाएँ 13
- झाबुआ में बाघ ST-2303 13
- कृषि क्षेत्र में लगी आग को कम करने के लिये हरियाणा की योजना 15
- गुरुग्राम में राजनीतिक विज्ञापनों के लिये समिति की मंज़ूरी 15
- फरीदाबाद में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण 16

नोट :

हरियाणा

हरियाणा: किसानों से सभी फसलें MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा के मुख्यमंत्री** ने राज्य में **सभी फसलों की** न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) **पर खरीद** की घोषणा की, इस प्रकार **यह देश में** सभी फसलों की MSP पर खरीदने वाला **पहला राज्य** बन गया।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने **नहर जल सिंचाई शुल्क** के **बकाया में 133 करोड़ रुपए माफ** करने की भी घोषणा की।
  - रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में **प्राकृतिक आपदा** के कारण **फसल को हुए नुकसान** से पीड़ित किसानों को वर्ष 2023 से पहले एक सप्ताह के भीतर **137 करोड़ रुपए का लंबित मुआवज़ा** देने की भी घोषणा की गई।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP)

- MSP वह **गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है** जब **सरकार उनकी फसल खरीदती है।**
- MSP **कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP)** की सिफारिशों पर आधारित है, जो **उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति,** बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि **जैसे विभिन्न कारकों** पर विचार करता है।
  - CACP **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) MSP के स्तर पर** अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
- MSP का उद्देश्य **उत्पादकों को उनकी फसल के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और** फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा मंत्रिपरिषद हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिये **अध्यादेश** को मंज़ूरी देने वाली है।

मुख्य बिंदु

- **हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 का उद्देश्य** एक कानूनी प्रक्रिया प्रदान करना था जिसके द्वारा गुरुद्वारों को उनके **उचित उपयोग, प्रशासन, नियंत्रण** और **वित्तीय प्रबंधन सुधारों** के लिये **हरियाणा के सिखों** के विशेष नियंत्रण में लाया जा सके।
  - इस अधिनियम ने हरियाणा के **ऐतिहासिक गुरुद्वारों, 20 लाख रुपए से अधिक या उससे कम आय** वाले गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिये एक **अलग न्यायिक इकाई** बनाई।

नोट :

- **प्रस्तावित संशोधन:**
  - **न्यायिक नियुक्तियाँ:** प्रस्तावित संशोधन में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** की नियुक्ति का प्रावधान शामिल है।
    - यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है तो ज़िला न्यायाधीश या आयोग के वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।
  - **पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन:** हरियाणा सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह **द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC)** के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त **न्यायिक अधिकारियों के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन** के मुद्दे पर भी विचार करेगी।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

- आयोग का गठन **वर्ष 2017** में **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले** में **सर्वोच्च न्यायालय** के आदेश के अनुसरण में संविधान के **अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार)** के अंतर्गत किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता **सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. वेंकटराम रेड्डी कर रहे हैं।**
- **कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं:**
  - देश भर में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढाँचे और परिलब्धियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विकसित करना।
  - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जाँच करना एवं सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदि जैसे लाभों सहित उपयुक्त सिफारिशें करना।
  - ऐसे अंतरिम राहत पर विचार करना और सिफारिश करना जिसे आयोग सभी श्रेणियों के न्यायिक अधिकारियों के लिये उचित समझे।
  - एक स्वतंत्र आयोग द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिये एक स्थायी तंत्र की स्थापना के संबंध में सिफारिशें करना।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग, यदि आवश्यक हो, सिफारिशों को अंतिम रूप दिये जाने पर किसी भी मामले पर रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।
  - **आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने** तथा कार्य पूरा करने के लिये आवश्यक तौर-तरीके तैयार करने का अधिकार दिया गया है।

पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा की विनेश फोगाट** को **पेरिस ओलंपिक** में अयोग्य घोषित कर दिया गया। **50 किलोग्राम** की यह **पहलवान स्वर्ण पदक मुकाबले** में भाग लेने के लिये महत्त्वपूर्ण दूसरे वज़न वर्ग में जगह बनाने में असफल रही।

मुख्य बिंदु:

- **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee- IOC)** ने नियमों के अनुसार मैच के दिन अधिक वज़न होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।
  - पहलवान, जिसकी नज़र स्वर्ण पदक पर थी, को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब था कि **वह एक रजत पदक भी नहीं प्राप्त कर सकती थी जो सेमीफाइनल जीत ने सुनिश्चित किया था**
  - उन्होंने **क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मैन लोपेज़ को** 5-0 से हराकर **सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया।**
  - उन्होंने इस मुद्दे पर **खेल पंचाट न्यायालय (Court of Arbitration for Sport- CAS)** में अपील की है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee- IOC)

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) **ओलंपिक खेलों का संरक्षक है, जिसकी स्थापना जून 1894 में हुई थी। यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है।
- इसका मुख्यालय **ओलंपिक राजधानी, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है।**

खेल पंचाट न्यायालय (Court of Arbitration for Sport- CAS)

- यह एक **अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-न्यायिक निकाय** है जिसकी स्थापना खेल से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिये की गई है।
- इसका **मुख्यालय लुसाने (स्विट्ज़रलैंड) में है** और इसके **न्यायालय न्यूयॉर्क शहर, सिडनी और लुसाने में स्थित हैं**
- वर्तमान ओलंपिक मेज़बान शहरों में अस्थायी न्यायालय स्थापित किये जाते हैं।

हरियाणा में विनेश फोगट के भव्य स्वागत की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **हरियाणा सरकार** पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बावजूद पहलवान **विनेश फोगाट के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है।**

मुख्य बिंदु

- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फोगाट, जो ओलंपिक **कुश्ती फाइनल के लिये अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं,** को **पदक विजेता के रूप में सम्मानित किया जाएगा।**
  - **हरियाणा** सरकार ओलंपिक खेलों में **स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि** देने की घोषणा कर रही है।
  - विनेश फोगाट **50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्द्धा कर रही थीं और वज़न माप के दौरान उनका वज़न 100 ग्राम अधिक पाया गया,** जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।
  - उन्होंने **कुश्ती से भी संन्यास की घोषणा** कर दी है।

ओलंपिक

- **परिचय:**
  - **ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो हर चार वर्ष में आयोजित होता है।**
    - ओलंपिक का लक्ष्य **खेल के माध्यम द्वारा मानव जाति का विकास करना तथा विश्व शांति में योगदान देना है।**
  - ओलंपिक में शामिल हैं: **ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन खेल, युवा ओलंपिक खेल।**
- **इतिहास एवं उत्पत्ति :**
  - ओलंपिक की जड़ें लगभग **3,000 वर्ष पहले प्राचीन ग्रीस के पेलोपोन्नीज़ क्षेत्र में पाई जाती हैं।**
  - यद्यपि सटीक प्रारंभ तिथि अनिश्चित बनी हुई है, **फिर भी ऐतिहासिक अभिलेखों में 776 ई.पू. का उल्लेख सामान्यत: किया गया है।**
    - **पियरे डी कुबर्तिन की योजना** के आधार पर पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में **एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था।**
- **ओलंपिक रिंग्स:**
  - ओलंपिक प्रतीक में सफेद पृष्ठभूमि पर विभिन्न रंगों **(नीला, पीला, काला, हरा और लाल) के पाँच परस्पर जुड़े हुए छल्ले होते हैं।**
  - ये छल्ले **विश्व के पाँच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा खेलों के माध्यम से राष्ट्रों की एकता और विविधता** का प्रतीक हैं।

नोट :

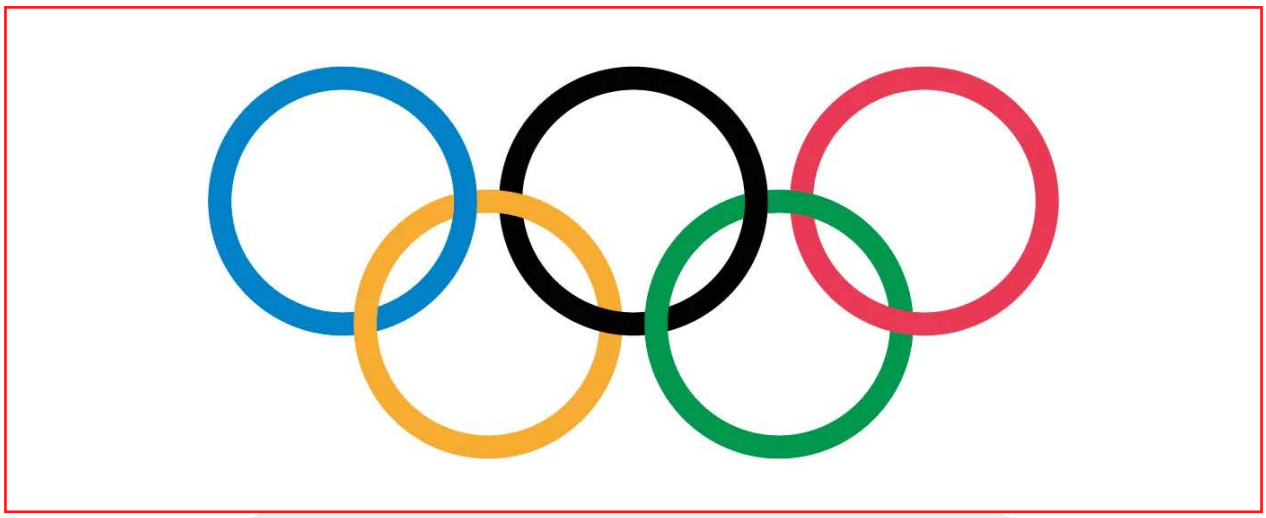

नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रसिद्ध **भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने** पेरिस ओलंपिक 2024 **में रजत पदक** हासिल किया।

प्रमुख बिंदु:

- नीरज ने **89.45 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर** पोडियम पर दूसरा स्थान प्राप्त किया।
  - **पाकिस्तान के अरशद नदीम ने** 92.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए **स्वर्ण पदक जीता।**
- नीरज **लगातार व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय एथलीट और ट्रैक एवं फील्ड में पहले खिलाड़ी** बन गए
- पहलवान **सुशील कुमार** (वर्ष 2008 और वर्ष 2012) तथा शटलर **पीवी सिंधु** (वर्ष 2016 एवं वर्ष 2021) अन्य भारतीय हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।

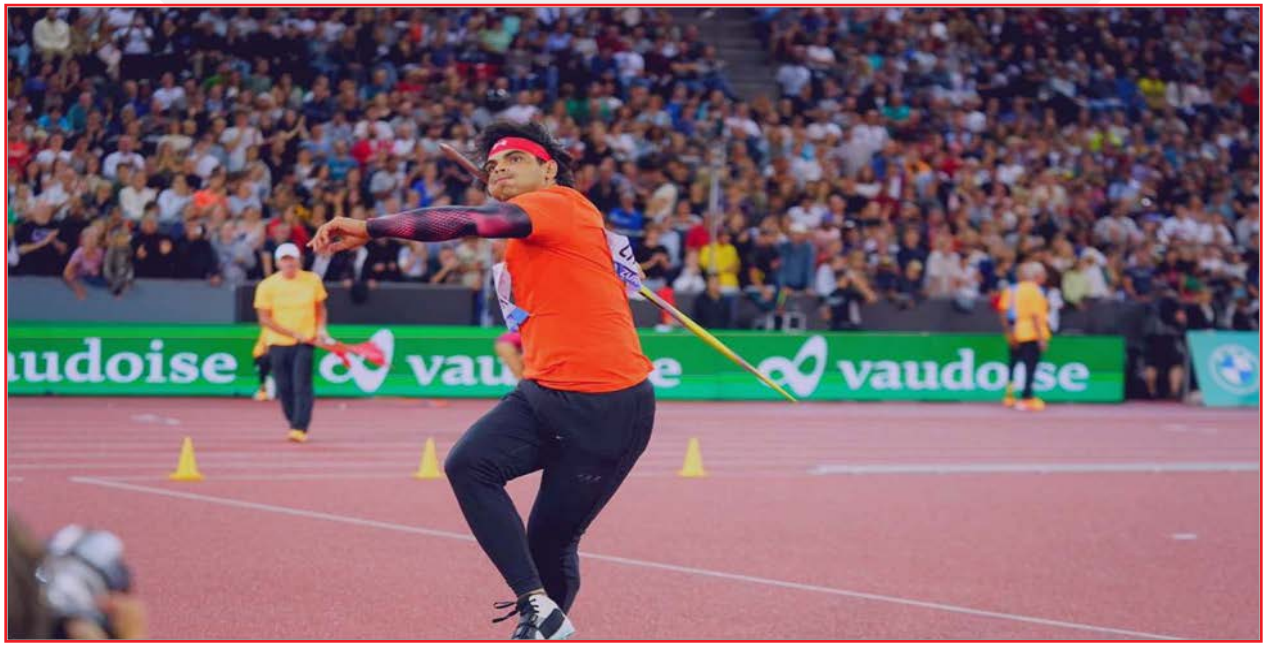

नोट :

भारी वर्षा का पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने **चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लिये ऑरेंज अलर्ट** जारी किया है और अलग-अलग क्षेत्रों में तेज़ बारिश की भविष्यवाणी की है।

मुख्य बिंदु

- **कलर कोडेड मौसम चेतावनी** IMD द्वारा जारी की जाती है जिसका उद्देश्य गंभीर या खतरनाक मौसम से पहले लोगों को सचेत करना है जिससे हानि, व्यापक व्यवधान या जीवन को खतरा होने की संभावना होती है।
- चेतावनियाँ प्रतिदिन अपडेट की जाती हैं।
- IMD 4 रंग कोड (Colour Codes) का उपयोग करता है:
  - **हरा (सब ठीक है):** कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है
  - **पीला (सावधान रहें):** पीला रंग कई दिनों तक चलने वाले गंभीर रूप से खराब मौसम को दर्शाता है। यह यह भी बताता है कि मौसम और भी खराब हो सकता है, जिससे दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवधान आ सकता है
  - **नारंगी/अंबर (तैयार रहें):** नारंगी (Orange) अलर्ट अत्यधिक खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें सड़क और रेल बंद होने तथा विद्युत आपूर्ति में रुकावट के साथ आवागमन में व्यवधान की संभावना होती है
  - **लाल (कदम उठाये):** जब अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति निश्चित रूप से यात्रा और विद्युत को बाधित करने वाली होती है तथा जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम होता है, तो लाल अलर्ट जारी किया जाता है।
- ये चेतावनियाँ **सार्वभौमिक प्रकृति** की होती हैं तथा बाढ़ के दौरान भी जारी की जाती हैं, जो **मूसलाधार वर्षा** के परिणामस्वरूप भूमि/नदी में पानी की मात्रा पर निर्भर करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, जब किसी नदी का पानी 'सामान्य' स्तर से ऊपर या 'चेतावनी' और 'खतरे' के स्तर के बीच होता है, तो पीला अलर्ट जारी किया जाता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD)

- **IMD** की स्थापना **वर्ष 1875** में हुई थी। यह देश की **राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा** है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** की एक एजेंसी के रूप में काम करती है।
- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- IMD **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** के **छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों** में से एक है।

हरियाणा ने युवाओं के लिये योजनाएँ शुरू कीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा के मुख्यमंत्री** ने **युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग** द्वारा आयोजित **अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस** कार्यक्रम में भाग लिया।

- उन्होंने **ड्रोन दीदी योजना, ठेकेदार सक्षम युवा योजना** और **IT सक्षम युवा योजना** लॉन्च की।

प्रमुख बिंदु:

- हरियाणा ने **हरियाणा कौशल विकास मिशन** के तहत एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास में मदद की है और युवाओं को 1.44 लाख नौकरियाँ प्रदान की हैं।
- **ठेकेदार सक्षम युवा योजना:**
  - सरकार 10,000 **इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री धारकों को तीन महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी** ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

नोट :

- सरकार इन युवाओं को **एक वर्ष के लिये 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** भी उपलब्ध कराएगी।
- युवा **राज्य पंचायती राज विभाग के 25 लाख रुपए** तक के सरकारी निविदाओं के लिये आवेदन कर सकेंगे।

- **IT सक्षम युवा योजना:**
  - इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार **स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को IT प्रशिक्षण प्रदान करेगी** ताकि उन्हें इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने में मदद मिल सके।
  - युवाओं को **कोडिंग, जावा भाषा, वेब डिजाइनिंग, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग** आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **ड्रोन दीदी योजना:**
  - इस योजना के तहत राज्य सरकार **वर्ष 2024-25 में 5,000 युवतियों को ड्रोन संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण देगी।**
  - सरकार उन्हें **ड्रोन और अन्य उपकरणों की लागत का 80% प्रदान** करेगी।
- **बेरोज़गारी अनुदान में वृद्धि:**
  - मुख्यमंत्री ने **1 अगस्त, 2024 से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिये बेरोज़गारी भत्ता 900 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,200 रुपए** करने की घोषणा की।
  - **स्नातक युवाओं के लिये बेरोज़गारी अनुदान बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह और स्नातकोत्तर युवाओं के लिये 3,500 रुपए प्रति माह** कर दिया गया है।
  - सरकार **2.61 लाख युवाओं को ऐसे अनुदान उपलब्ध** कराएगी।

हरियाणा कौशल विकास मिशन (Haryana Skill Development Mission- HSDM)

- इसकी **स्थापना मई 2015 में** राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य **युवाओं को हरियाणा और भारत के आर्थिक तथा सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिये सशक्त** बनाना है।
- यह **विभाग भर में कौशल विकास योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने** के लिये सरकार के भीतर संपर्क का एकल बिंदु है।
- हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM) एक **एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है जो राज्य के कौशल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य विभागों के प्रयासों** को जोड़ता है।

हरियाणा की अरावली को संरक्षित वन का दर्जा मिला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा** ने ग्रेट निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के विनाश की भरपाई के लिये **प्रतिपूरक वनीकरण स्वैप** के तहत अपने पाँच ज़िलों में अरावली की 24,353 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित वन के रूप में नामित किया है।

मुख्य बिंदु

- हालाँकि लक्ष्य 26,000 हेक्टेयर था, लेकिन हरियाणा 24,353 हेक्टेयर भूमि हासिल करने में सफल रहा। शेष 1,647 हेक्टेयर भूमि के लिये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) मध्य प्रदेश सरकार के साथ वार्ता कर रहा है।
- नवंबर 2022 में MoEFCC ने अपनी मंज़ूरी दे दी, जिससे **ग्रेट निकोबार में एक विशाल परियोजना** का मार्ग प्रशस्त हो गया।
  - इस **परियोजना में 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक शिपिंग बंदरगाह, एक विद्युत संयंत्र** और एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है।
  - इस भूमि का 80% से अधिक हिस्सा प्राचीन उष्णकटिबंधीय वन का हिस्सा है, जिसके परिणामस्वरूप **लगभग दस लाख पेड़ नष्ट हो गए हैं।**
  - फरवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया कि भारत की मुख्य भूमि से दूर एक द्वीप में इस **वन विनाश** के लिये प्रतिपूरक वनरोपण **हरियाणा की अरावली** में किया जाएगा।
  - हरियाणा सरकार, जिसने प्रतिपूरक वनरोपण के लिये अपनी योजना प्रस्तुत की है, को अपने पाँच ज़िलों में **अरावली को पुनर्जीवित करने के लिये 3,000 करोड़ रुपए** मिलेंगे।
    - पाँच ज़िले हैं - **गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी।**

नोट :

ग्रेट निकोबार द्वीप

- ग्रेट निकोबार, **निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है,** जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन का 910 वर्ग किलोमीटर का विरल रूप से बसा हुआ क्षेत्र है।
- **द्वीप पर इंदिरा प्वाइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा** के उत्तरी सिरे पर सबंग से 90 समुद्री मील (<170 किमी) दूर स्थित है।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप शामिल हैं,** जो दो समूहों में विभाजित हैं, जिन्हें उत्तर में स्थित अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिण में स्थित निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, जो 150 किलोमीटर चौड़ी 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं।
- ग्रेट निकोबार में दो राष्ट्रीय उद्यान, एक बायोस्फीयर रिज़र्व, शोम्पेन, ओन्गे, **अंडमानी और निकोबारी जनजातीय लोगों की छोटी आबादी** तथा कुछ हज़ार गैर-आदिवासी निवासी हैं।

नोट :

हरियाणा ने अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जातियों (SC) का उपवर्गीकरण करने के लिये **राज्य अनुसूचित जाति आयोग** की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

प्रमुख बिंदु:

- **उद्देश्य: उप-वर्गीकरण** का उद्देश्य विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता देकर, विशेष रूप से शैक्षिक और रोज़गार क्षेत्रों में, **लाभों** और **अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण** सुनिश्चित करना है।
- **पैनल की सिफारिश:** आयोग ने अनुसूचित जाति समुदाय के अधिक वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता प्रदान करने के लिये अनुसूचित जातियों की एक नई श्रेणी बनाने का सुझाव दिया।
  - आयोग ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के उद्देश्य से दो श्रेणियों में उपवर्गीकरण करने की सिफारिश की:
    - **वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC),** जिसमें बाल्मीकि, धानक, मज़हबी सिख, खटीक, जैसी **36 जातियाँ** शामिल हैं।
    - **अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC),** जिनमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची, रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** राज्य सरकार नई श्रेणियों को प्रतिबिंबित करने और लक्षित समर्थन सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा नीतियों और योजनाओं में संशोधन के माध्यम से इस उप-वर्गीकरण को लागू करने की योजना बना रही है।
- **संभावित प्रभाव:** यह कदम विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बेहतरीकरण के लिये सकारात्मक नीतिगत सुधार के रूप में कार्य करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में भर्ती के परिणाम रोके

चर्चा में क्यों ?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा पर **विधानसभा चुनाव** संपन्न होने तक रोक लगा दी है।

मुख्य बिंदु

- **भर्ती विवरण:** प्रभावित भर्तियों में हरियाणा पुलिस में **कांस्टेबलों के पद, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)** द्वारा **प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT)** और **शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (PTI) के पद** तथा **हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)** द्वारा विभिन्न पद शामिल हैं।
- **रोक का कारण:** यह निर्णय विपक्षी पार्टी की ओर से आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की शिकायत के बाद लिया गया।
- **आयोग के निष्कर्ष:** ECI ने निर्धारित किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में **MCC** का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि वे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू किये गए थे।
  - हालाँकि निष्पक्षता और समान अवसर बनाए रखने के लिये, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक परिणाम जारी नहीं किये जाएंगे।

नोट :

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)

- **हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय** है जो **हरियाणा सरकार** के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में **ग्रुप बी, सी तथा डी** के पदों हेतु कर्मचारियों की भर्ती के लिये ज़िम्मेदार है।

भारत निर्वाचन आयोग

- **परिचय:**
  - **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु ज़िम्मेदार है।
    - इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को की गई थी (जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
  - यह निकाय भारत में **लोकसभा, राज्यसभा** और **राज्य विधानसभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति** एवं **उपराष्ट्रपति** के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
    - इसका राज्यों में **पंचायतों** और **नगर पालिकाओं** के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में अलग से **राज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

- **आदर्श आचार संहिता** एक आम सहमति वाला दस्तावेज़ है। राजनीतिक दलों ने खुद ही चुनाव के दौरान अपने आचरण पर नियंत्रण रखने और आचार संहिता के दायरे में काम करने पर सहमति जताई है।
- यह **निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए अधिदेश के अनुरूप कार्य करने** में सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का पर्यवेक्षण करने एवं उन्हें संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- आदर्श आचार संहिता **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर** परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहती है।
- संहिता के प्रभावी रहने के दौरान सरकार किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य **सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती तथा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकती**।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये पर्यवेक्षक

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **भारत निर्वाचन आयोग हरियाणा** और जम्मू-कश्मीर में **विधानसभा चुनावों** के लिये **400 से अधिक पर्यवेक्षकों** को तैनात करेगा।

प्रमुख बिंदु

- मतदान निकाय, **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B** तथा **संविधान की पूर्ण शक्तियों** के तहत पर्यवेक्षकों की तैनाती करता है।
- एक बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों को **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव** के लिये संपूर्ण चुनाव तंत्र पर नज़र रखनी चाहिये तथा उन्होंने कहा कि इन चुनावों में पर्यवेक्षकों की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
  - पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे सभी दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिये उनके पास उपलब्ध रहें।

नोट :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B

- निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में **चुनावों के संचालन की निगरानी करने तथा आयोग द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के निष्पादन के लिये किसी सरकारी अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नामित** कर सकता है।
- यदि पर्यवेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग हुई है या मतपत्रों को अवैध रूप से ले लिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, खो दिया गया है या उनके साथ इस हद तक छेड़छाड़ की गई है कि मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, **तो पर्यवेक्षक को रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना रोकने या परिणाम घोषित न करने का निर्देश देने का अधिकार होगा।**
- इसके बाद पर्यवेक्षक **मामले की सूचना निर्वाचन आयोग को देगा।**

भारत निर्वाचन आयोग

- यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- इसकी स्थापना संविधान के अनुसार **25 जनवरी, 1950** को की गई थी **(जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)**। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- यह निकाय भारत में **लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति** के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
- यह राज्यों में **पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित नहीं है।** इसके लिये भारत के संविधान में अलग से **राज्य निर्वाचन आयोग** का प्रावधान है।

हरियाणा में अनुसूचित जाति कोटे के द्विभाजन की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग** ने सिफारिश की है कि **सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित 20% कोटे का आधा हिस्सा वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों** के लिये **निर्धारित किया जाएगा।**

- इसमें बाल्मीकि, धानक, खटिक और मज़हबी सिख जैसी **36 जातियाँ** शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- आयोग ने **अनुसूचित जातियों (SC)** के पिछड़ेपन के कारण **सार्वजनिक रोज़गार में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता** का पता लगाने के लिये डेटा विश्लेषण किया।
- मंत्रिपरिषद को भेजी गई आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि **यदि वंचित अनुसूचित जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों**, तो रिक्त पदों को भरने के लिये चमार, जाटव, मोची, रैगर, रामदासिया और रविदासिया सहित अन्य **अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है।**
  - इसमें अ**नुसूचित जाति के 20% कोटे में से आधे को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित** करने का भी सुझाव दिया गया है।
  - यदि **इन समूहों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है।**
  - रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वरिष्ठता का क्रम मौजूदा प्रणाली के भीतर अलग-अलग अंकों की आवश्यकता के बिना एक सामान्य योग्यता सूची पर आधारित होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, राज्य कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे कारकों के आधार पर **अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत** कर सकता है।
  - हालाँकि इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य को यह प्रदर्शित करना होगा कि किसी जाति या समूह का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उसके पिछड़ेपन के कारण है तथा राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर आँकड़े एकत्र करने होंगे, क्योंकि इसका उपयोग पिछड़ेपन के सूचक के रूप में किया जाता है।

नोट :

एमपोक्स के लिये ज़िला अलगाव सुविधाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग** ने सभी ज़िलों को **एमपॉक्स (Mpox)** के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को **शिक्षित करने और संदिग्ध खसरे के मामलों की जाँच करने** के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

मुख्य बिंदु

- यह जाँच **राष्ट्रीय AIDS नियंत्रण संगठन (NACO)** द्वारा **पुरुषों और महिला सेक्स वर्कर के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों के लिये चिह्नित स्थानों पर केंद्रित निगरानी के माध्यम से की जाएगी, साथ ही त्वचाविज्ञान क्लीनिकों, एसटीडी क्लीनिकों, चिकित्सा और बाल चिकित्सा बाह्य रोगी विभागों में अस्पताल आधारित निगरानी के माध्यम से भी की जाएगी।**
- विभाग ने सभी ज़िलों को आइसोलेशन सुविधाओं की पहचान करने और प्रभावी रोगी प्रबंधन के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी है।
- सभी अस्पतालों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है तथा यदि उन्हें कोई संदिग्ध मामला मिलता है तो उन्हें **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)** इकाई को सूचित करना होगा।
- **संक्रमित व्यक्तियों के लिये ऊष्मायन अवधि सामान्यत: 7 से 14 दिन की होती है, लेकिन यह 5 से 21 दिन तक भी हो सकती है तथा इस अवधि के दौरान रोगी आमतौर पर संक्रामक होता है।**

एमपॉक्स (Mpox)

- एमपॉक्स, जिसे मंकीपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक **डीएनए वायरस** है। यह **पोक्सविरिडे परिवार** से संबंधित है, जिसमें बड़े, डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं।
  - इस वायरस की पहचान सबसे **पहले वर्ष 1958 में बंदरों में हुई थी, लेकिन अब यह मनुष्यों को भी संक्रमित करता पाया गया है।**
- **संक्रमण:** एमपॉक्स मुख्य रूप से जानवरों, विशेष रूप से कृन्तकों और प्राइमेट्स से सीधे संपर्क या दूषित वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।
- **लक्षण:** मनुष्यों में एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और एक विशिष्ट दाने के साथ प्रकट होता है जो मैक्यूल से पपल्स तथा फिर पुटिकाओं तथा फुंसियों में बदल जाता है।
- **टीकाकरण:** एमपॉक्स के लिये एक टीका मौजूद है, लेकिन इसकी उपलब्धता और प्रभावशीलता सीमित है, जो बेहतर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है।

राष्ट्रीय AIDSनियंत्रण संगठन (NACO)

- **यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो 35 HIV/AIDS रोकथाम एवं नियंत्रण सोसायटियों के माध्यम से भारत में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है।**
- NACO ने देश में HIV/AIDS के प्रसार को काफी हद तक कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और वह भी वैश्विक दरों की तुलना में अधिक तेज़ी से।

झाबुआ में बाघ ST-2303

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **बाघ ST-2303 सरिस्का टाइगर रिज़र्व** से निकल कर हरियाणा के रेवाड़ी के **झाबुआ के घने वनों** में पहुँच गया है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **नीलगाय और जंगली सूअर** जैसे शिकार से समृद्ध झाबुआ वन, बाघ को प्रचुर मात्रा में भोजन का स्रोत तथा घना आवरण प्रदान करता है, जिससे **वन अधिकारियों के लिये उसे पकड़ना या स्थानांतरित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।**
  - गाँवों के निकट बाघ की उपस्थिति से **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ** तथा संभावित **मानव-वन्यजीव संघर्ष** का भय उत्पन्न हो गया है।
  - **वन अधिकारी बाघ को सुरक्षित रूप से** सरिस्का वापस लाने के लिये **राजस्थान** स्थित अपने **समकक्षों के साथ समन्वय कर रहे हैं।**
- **सरिस्का टाइगर फाउंडेशन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बाघों की उनके मूल पर्यावास में वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है,** क्योंकि अन्य रिज़र्व में उनके स्थानांतरण की संभावना है।
- यह घटना भविष्य में बाघों के प्रवास के लिये **सरिस्का और हरियाणा अरावली के बीच वन्यजीव गलियारों के संरक्षण के महत्त्व** को उजागर करती है।

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व **अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर ज़िले का एक हिस्सा** है।
- इसे **वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित** किया गया तथा **बाद में वर्ष 1978 में इसे टाइगर रिज़र्व** घोषित कर दिया गया, जिससे यह भारत के **प्रोजेक्ट टाइगर** का हिस्सा बन गया।
- इसमें **खंडहर मंदिर, किले, मंडप और एक महल शामिल हैं।**
- **कंकरवाड़ी किला** रिज़र्व के केंद्र में स्थित है।
- ऐसा कहा जाता है कि **मुगल बादशाह औरंगज़ेब** ने गद्दी के उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने **भाई दारा शिकोह को इसी किले में कैद किया था।**

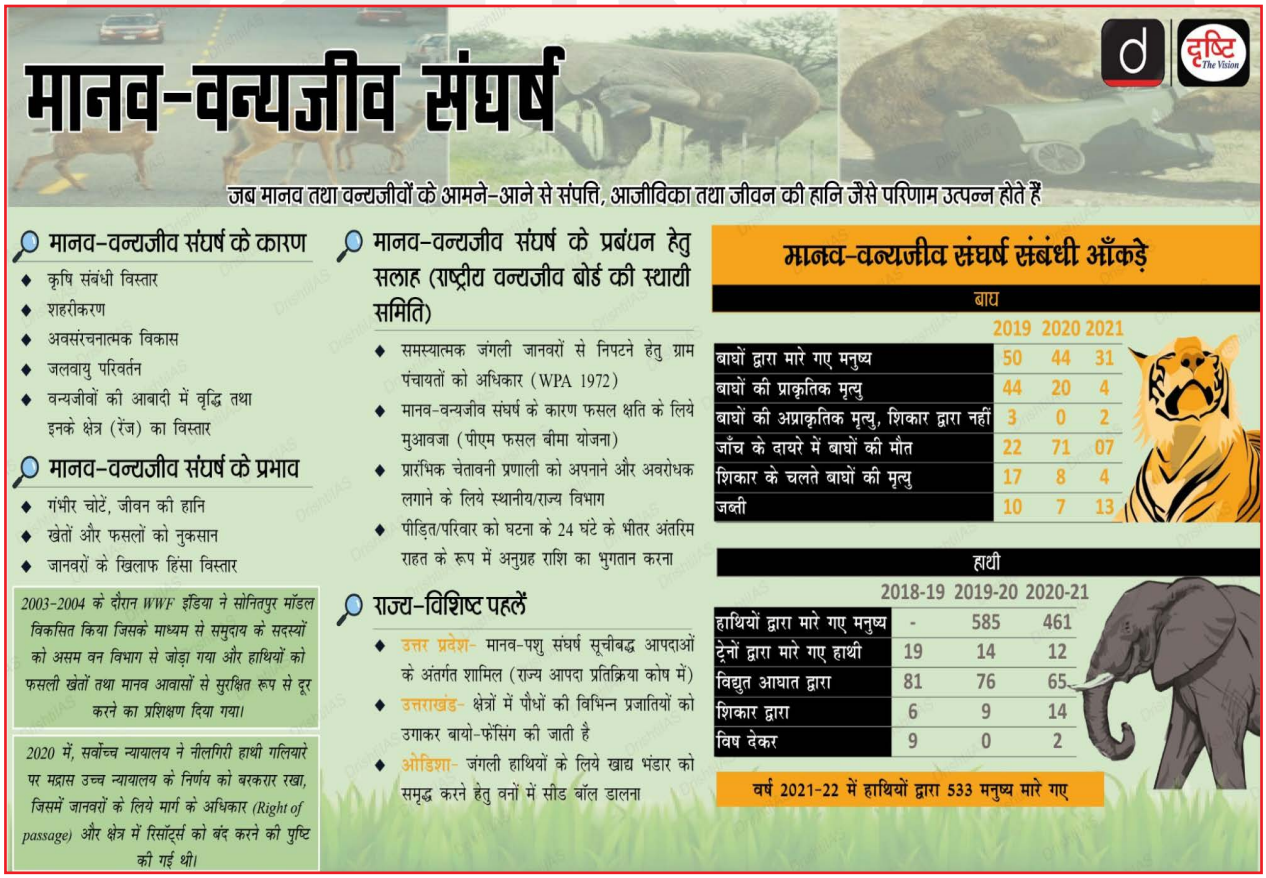

नोट :

कृषि क्षेत्र में लगी आग को कम करने के लिये हरियाणा की योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा सरकार** ने **धान की फसल** की कटाई के बाद **अवशिष्ट पराली का उपयोग** करने के लिये एक रूपरेखा विकसित की है।

- इस पहल का उद्देश्य **खेतों में आग लगने की घटनाओं को कम करना है,** जो प्रतिवर्ष सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में खतरनाक **वायु प्रदूषण** का कारण बनती है।

मुख्य बिंदु:

- कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2024 में **हरियाणा में 38.8 लाख एकड़ कृषि भूमि का उपयोग धान की खेती** के लिये किया जाएगा। **इन फसलों से 81 लाख मीट्रिक टन (LMT) अवशेष उत्पन्न होने** का अनुमान है।
  - किसान धान की कटाई के बाद जो अवशेष या पुआल बच जाता है, उसे वे जला देते हैं ताकि अगली बुवाई के लिये भूमि को जल्दी से जल्दी तैयार कर सकें।
- राज्य सरकार **फसल अवशेष प्रबंधन योजना** शुरू करने जा रही है जिसमें शामिल हैं:
  - **स्व-स्थाने (In-Situ) पराली प्रबंधन** में पराली को काटकर **खाद** के रूप में मृदा में मिलाना शामिल है। इसके लिये **सरकार** स्लेशर सहित **90,000 मशीनें उपलब्ध कराएगी** और **किसानों को परिचालन शुल्क के रूप में प्रति एकड़ 1,000 रुपए देगी।**
  - **बाह्य-स्थाने (Ex-Situ) प्रबंधन उद्योग पराली के उपयोग** को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि **जैव ईंधन** के लिये **बायोमास** या पैकेजिंग और कार्डबोर्ड इकाइयों के लिये कच्चा माल। यह **पराली जलाने का एक आर्थिक विकल्प बनाता है,** क्योंकि उद्योग किसानों से फसल अवशेष खरीदते हैं।
  - सरकार की योजना ज़िलों को 1,405 बेलर मशीनें वितरित करने की है, जो बाद में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी
- इसका उद्देश्य **फसल अवशेषों के संग्रह और भंडारण को और अधिक सुविधाजनक** बनाना है। इसके अलावा, अधिकारी इन फसल अवशेषों को खरीदने के लिये उद्योगों के साथ साझेदारी स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं।

पराली दहन

- पराली दहन **धान की फसल के अवशेषों को खेत से हटाने की एक विधि है,** जिसका उपयोग सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक गेहूँ की बुवाई के लिये किया जाता है, जो **दक्षिण-पश्चिम मानसून** की वापसी के साथ ही होता है।
- पराली दहन धान, गेहूँ आदि जैसे अनाज की कटाई के बाद **बचे पुआल के ठूँठ को आग लगाने की प्रक्रिया है।** आमतौर पर इसकी आवश्यकता उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संयुक्त कटाई पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिससे फसल अवशेष बच जाते हैं।
- **अक्तूबर और नवंबर में यह उत्तर-पश्चिमी भारत,** विशेषकर पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में प्रचलित है।

गुरुग्राम में राजनीतिक विज्ञापनों के लिये समिति की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम ज़िले **में केबल टीवी, समाचार पत्रों और सिनेमा हॉलों में राजनीतिक विज्ञापन अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (Media Certification and Monitoring Committee- MCMC) की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित नहीं** किये जा सकेंगे।

मुख्य बिंदु:

- **चुनाव अवधि** के दौरान केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को **मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) प्रमाण-पत्र** के बिना कोई भी विज्ञापन प्रसारित करने पर प्रतिबंध है।
- यह घोषणा **भारत निर्वाचन आयोग** के निर्देशों के तहत की गई।

नोट :

राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के लिये नियम

- **राज्य मीडिया पर समय का आवंटन:**
  - **वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद** से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान सरकारी टेलीविजन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
  - चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक **मान्यता प्राप्त** राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के लिये समय आवंटन तय करता है।
    - राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम-से-कम 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनलों पर 15 घंटे मिलते हैं। उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर भी 10 घंटे तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर 15 घंटे मिलते हैं।
    - राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों पर न्यूनतम 30 घंटे का प्रसारण मिलता है।
- **भाषण सामग्री पर दिशा-निर्देश:**
  - दलों और वक्ताओं को संबंधित **ऑल इंडिया रेडियो (AIR) एवं दूरदर्शन (DD) प्राधिकारियों** द्वारा अनुमोदन के लिये भाषण की प्रतिलिपि 3-4 दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी।
  - **ECI दिशा-निर्देश निषेध करते हैं:**
    - अन्य देशों की आलोचना;
    - धर्मों या समुदायों पर हमला;
    - अश्लील या अपमानजनक सामग्री;
    - हिंसा भड़काना;
    - न्यायालय की अवमानना;
    - राष्ट्रपति और न्यायपालिका के विरुद्ध आक्षेप;
    - राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात;
    - नाम लेकर किसी व्यक्ति की आलोचना।

फरीदाबाद में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने यह जाँच करने के लिये एक समिति गठित की है कि क्या अरावली में अनधिकृत पत्थर खनन गतिविधियों के कारण फरीदाबाद के अनंगपुर गाँव में गंभीर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्रवाई **अनंगपुर के निकट निवासियों द्वारा NGT में याचिका दायर करने के बाद की गई**, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अवैध संचालन से उनके **स्वास्थ्य को काफी खतरा** है
- समिति में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB),** फरीदाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) और फरीदाबाद के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- **समिति की ज़िम्मेदारियों** में भूमि की प्रकृति का पता लगाने के लिये साइट का दौरा करना, यह पुष्टि करना कि क्या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा गतिविधियों में लगे व्यक्तियों या संगठनों की पहचान करना शामिल है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका **गठन** वर्ष **1974** में **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था
- CPCB को **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत शक्तियाँ तथा कार्य भी सौंपे गए थे
- यह एक क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

नोट :